

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशप्तानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक - उर्दू के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

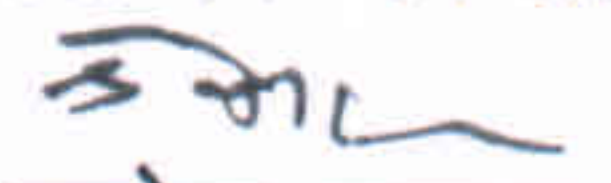
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में उर्दू ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/01

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या – 01

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13337C	1996-97	वाजिदा तबस्सुम रामावि बासबदनपुरा	GOVT SEN SEC SCH PAHADGANJ (08122507016) Jaipur		20-09-1961	GOVT SEN SEC SCH CHAKSU (08121330503), Block - CHAKSU JAIPUR


 (मुकेश कुमार शर्मा)
 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्कानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – सामान्य के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक एवं बी.एड. की योग्यता रखता है परन्तु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत एवं अन्य तृतीय भाषा) के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता नहीं रखता हो। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिला माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/02

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 02

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3843	1988-89	महेश कुमार उपाध्याय राप्रावि क डिडवाना	GOVT. PS MAHALA DHANI DIDWANA, BLOCK LALSOT (08110317507)		02-07-1961	GOVT. UPS GIRLS ALOODA(08110600101) PS - ALOODA, Block - LAWAN
2	6226G	1990-91	जुगल किशोर गुप्ता राप्रावि मुरलीपुरा सांगानेर	GOVT PS MURLIPURA, BLOCK SANGANER CITY (08122704805)		13-02-1965	GOVT UPS NO. 1(08121330401) PS - CHAKSU NAGAR PALIKA, Block - CHAKSU


(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्गानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – गणित के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध विरुद्ध रिक्त चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में गणित ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/03

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

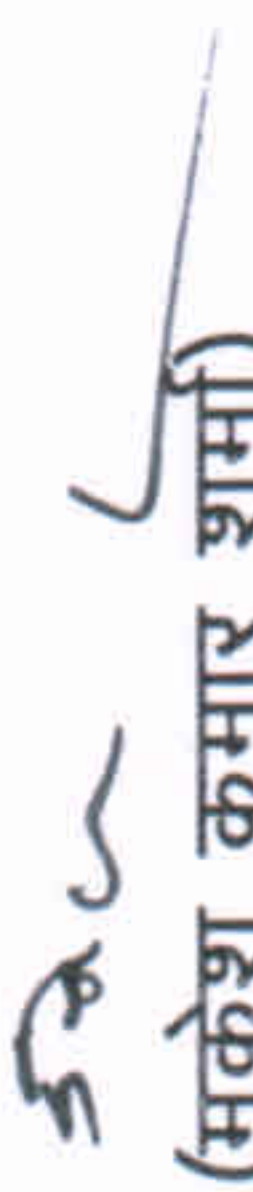
कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (गणित) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि / मा / जय / संस्था-1बी / एफ-पदोन्नति / 2018-19 आदेश संख्या - 03

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10671C	1994-95	विजय श्रीवास्तव रामावि, सैक्टर 19, प्रताप नगर	GOVT SEC SCHOOL. KHEJADI BUJURG, BLOCK CHAKSU (08121311901)	Jaipur	29-04-1970	GOVT SR. SEC. DANTALA MEENA (08120724006), Block - JAMWA RAMGARH
2	879A	1999-00	रामजस रामावि गादूवास मुण्डावर अलवर	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADUWAS, BLOCK MUNDARWAR (08060301501)	Alwar	05-07-1968	GOVT GIRLS SEN.SEC SCH KOTPUTLI (08120112505), Block - KOTPUTLI
3	1674C	2001-02	मुकेश कुमार शर्मा राबाउमावि मानपुर सिकराय	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL MANPUR, BLOCK SIKRAI, (08110506816)	Dausa	10-06-1974	GOVT. SR.SEC.SCHOOL,RAJWAS SIKRAI DAUSA (08110508202), Block - SIKRAI


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्गानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक - गणित के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में गणित ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/04

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (गणित) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 04 दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12007E	1995-96	प्रभात कुमार सैनी राउप्रावि साख बस्ती	GOVT UPS SANKH, BLOCK BASSI (08120805201) Jaipur		02-10-1968	GOVT ADRASH SENIOR SECONDARY SCHOOL DANGARWADA (08120716605), Block - JAMWA RAMGARH JAIPUR

नोट : उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com

Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र/समाज शास्त्र/लोक प्रशासन/दर्शन शास्त्र ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/05

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 05

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2070C	1985-86	गायत्री देवी शर्मा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजमावि मोतीकटला जयपुर	GOVT NETAJI SUBHASH SR SEC SCHOOL MOTIKATLA (08122508517)	Jaipur	01-07-1964	GOVT SEC SCH JANKI WALLABH PURA (08121306901), Block - CHAKSU
2	4684	1989-90	विजया आचार्य राउप्रावि देवखेडा	ALAM CHAND BHAGWANTI DEVI GOVT. UPS NO. 5 ALWAR, BLOCK UMRAIN (08060820413)	Alwar	02-04-1960	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, RAILWAYS STATION, (08060817121), Block - UMRAIN
3	6560	1991-92	मधुबाला शर्मा रामावि, अहीरवास, उमरैण	GOVT. SECONDARY SCHOOL AHIR BAS, BLOCK-UMRAIN (08060810802)	Alwar	10-03-1964	GOVT. HIGH SECONDARY SCHOOL HAMIRPUR (08060902312), Block - BANSUR
4	2739B	1986-87	हरनारायण शर्मा राउमावि भेडोली	GOVT. UPS BHEDOLI, BLOCK DAUSA (08110220601)	Dausa	01-12-1963	GOVT. SEC. SCHOOL TITARWARA KALAN (08110208701), Block - DAUSA
5	6385B	1990-91	बसंत कुमार शर्मा राउप्रावि, घासोली किशनगढ	GOVT. UPS SACHU RAJPOT KI DHANI, BLOCK KISHANGARHBAS (08060407206)	Alwar	28-06-1962	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOHRA MALAWALI (08061304711), Block - LAKSHMANGARH
6	6876A	1991-92	बाबू लाल यादव राबाउप्रावि रायसराना, नीमराना	GOVT. UPS (G) RAYSARANA, BLOCK NEEMRANA (08060207106)	Alwar	12-07-1960	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MATALWAS (08060501901), Block - KOTKASIM


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com

Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

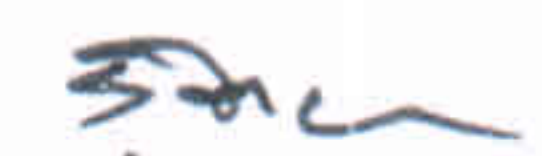
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र/समाज शास्त्र/लोक प्रशासन/दर्शन शास्त्र ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

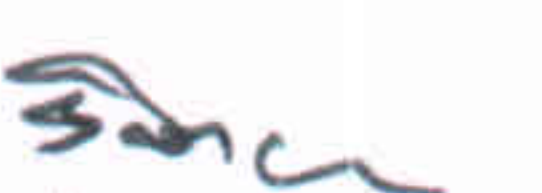

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/06

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 06

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7235	1991-92	संतोष खाकल राप्रावि झारेडा (रामगढ)	GOVT. UPS CHORTI BAS, BLOCK RAMGARH (08060705503)	Alwar	11-08-1968	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TEHLA (08061104122), Block - RAJGARH ALWAR

नोट : उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित नहीं होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

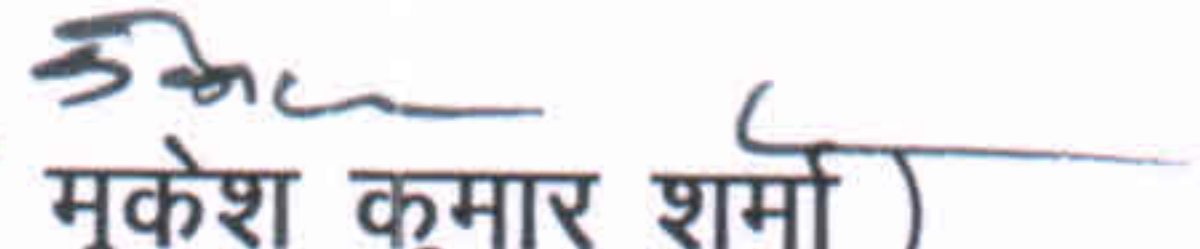
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र/समाज शास्त्र/लोक प्रशासन/दर्शन शास्त्र ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

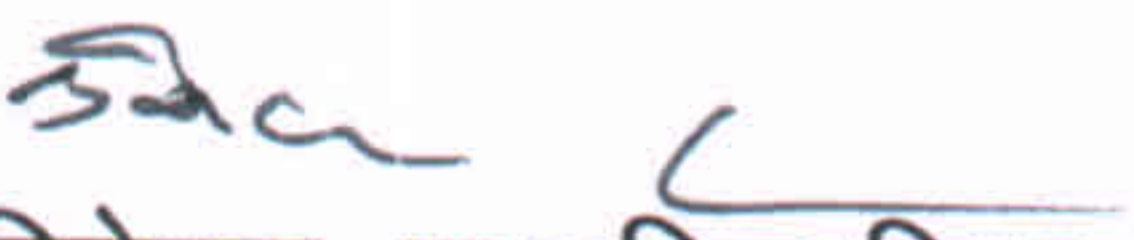

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/07

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

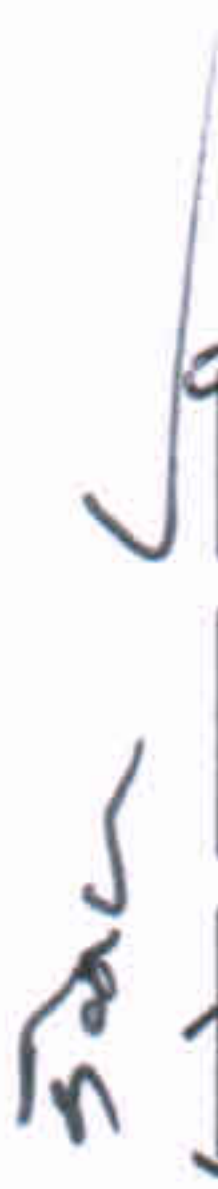
वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 07

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7048A	1991-92	चित्रा रानी श्रीवास्तव राआउमावि महादेवपुरा चाकसू जयपुर	GOVT SR SEC SCH MAHADEV PURA, BLOCK CHAKSU (08121320701) Jaipur		15-04-1967	GOVT SEN.SEC.SCHOOL DANTIL (08123001506), Block - PAOTA JAIPUR

नोट : उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


 (मुकेश कुमार शर्मा)
 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्कानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – विज्ञान के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

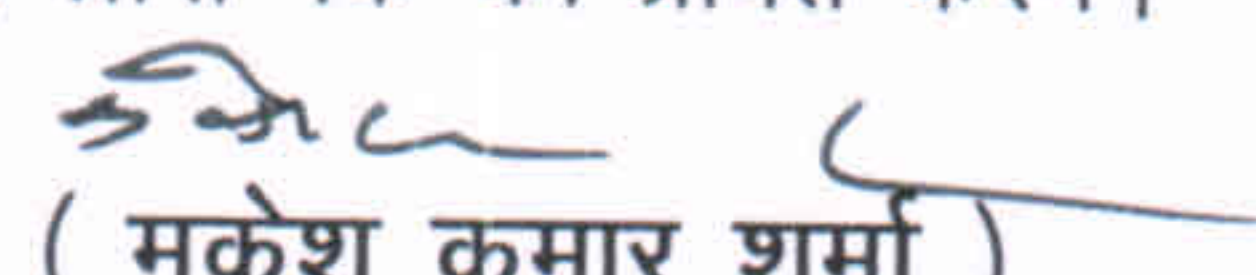
संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो बायोलोजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो केमिस्ट्री) में से कोई दो ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिए माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक : 17-09-2018

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/08

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 08 दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12847R	1996-97	श्यामा धाकड राउप्रावि रामपुरा देवलिया सांगानेर	GOVT UPS RAMPURA, BLOCK SANGANER (08121214810)	Jaipur	22-12-1966	GOVT GIRLS SR. SEC. SCH. PHAGI (08121105027), Block - PHAGI
2	13452A	1996-97	सुष्मिता नेगी राउप्रावि, सिंधी, सांगानेर	GOVT UPS SINDHI SANGANER (081222703904)	Jaipur	12-08-1968	GOVERNMENT ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL THALI (08121303301), Block - CHAKSU
3	2248	2004-05	सन्तोष यादव राउप्रावि, बहरोड	GOVT. UPS (G) NASARPUR, BLOCK BEHROR (08060106802)	Alwar	30-06-1976	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAPUKARA (08060601704), Block - TIZARA
4	3277C1	2004-05	सुनीता मिर्धा रामावि थौरियो की ढाणी फागी	GOVT SEN SEC SCH SAYPURA, BLOCK JAMWARAMGARH (08120710205)	Jaipur	16-10-1975	GOVT ADARSH SR SEC. SCH. THOLAI (08120717501), Block - JAMWARAMGARH
5	8304	1992-93	गिरधारीलाल राउप्रावि, खातलियों की ढाणी, दूदू	GOVT. UTKRISH U. PRIMARY SCHOOL, KHATLIYO KI DHANI (ASALPUR), BLOCK DUDU (08121016903)	Jaipur	10-07-1971	GOVT. SR. SEC. SCH. CHAINPURA (08121020604), Block - DUDU
6	1130A	2000-01	कँवर सिंह नौरगराम राउप्रावि बैरा बास कलों, कोटकासिम	GOVT. UPS BAIRAWAS KALAN, BLOCK KOTKASIM (08060504001)	Alwar	12-10-1966	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL ISMAILPUR (08060406101), Block - KISHANGARH BAS
7	1337A	2000-01	चन्द्रजीत सिंह राउमावि घासोली किशनगढ बास	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHASOLI, BLOCK- KISHANGARHBAS (08060407201)	Alwar	06-05-1967	GOVERNMENT HIGH SECONDARY SCHOOL GIRLS GOVINDGARH (08061316935), Block - LAKSHMANGARH
8	3409A	2004-05	शंकर लाल राप्रावि ढाणी मीणान सांभरलेक	GOVT UPS ALAKABAS, BLOCK SAMBHARLAKE (08120522401)	Jaipur	01-09-1980	GOVT SEN. SEC. SCH BHABRU (08120207606), Block - VIRATNAGAR
9	6237A	2007-08	मुल्कराज महावर राउप्रावि खेडली तर्कनूनिया कठूमर	GOVT. UPS KHERLI TARF NUNIYA, BLOCK KATHUMAR (08061405101)	Alwar	06-02-1980	GOVERNMENT ADARSH HIGH SECONDARY SCHOOL NASWARI (08061311801), Block - LAKSHMANGARH
10	9270	2008-09	मुनीराम मीणा बैसिक गीजगढ सिकराय	GOVT. UPS GIRDHARPURA, BLOCK SIKRAI (08110511201)	Dausa	05-07-1983	GOVT. SER. SEC. SCHOOL CHHAREDA (08110602006), Block - LAWAN

(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com

Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्कानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – संस्कृत के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

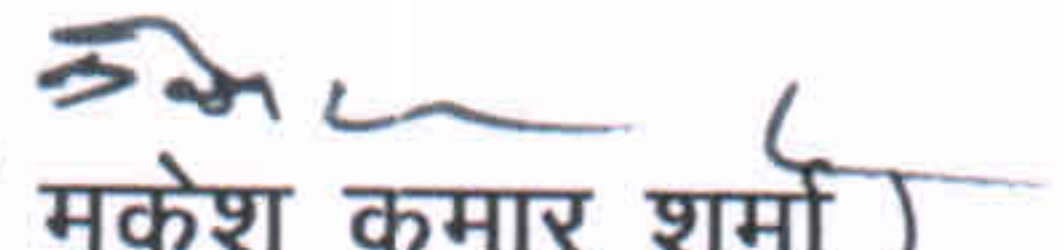
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में संस्कृत ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/09-10

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 09

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2070C	1985-86	गायत्री देवी शर्मा राउमावि मोतीकटला जयपुर	GOVT NETAJI SUBHASH SR SEC SCHOOL MOTIKATLA (08122508517) Jaipur		01-07-1964	GOVT SEN SEC. SCH. LALGARH (08120810406), Block - BASSI JAIPUR
2	3169A	1987-88	रेनू भार्गव रामावि बेलाका, उमरैण	GOVT. UPS MANGALBAS, BLOCK UMRAIN (08060805402) Alwar		02-03-1959	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (08060712839), Block - RAMGARH ALWAR
3	8860C	1992-93	श्यामलता पालीवाल राबामावि उमरैण	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL UMRAIN, ALWAR (08060800102) Alwar		03-10-1971	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MUBARIKPUR (08060712601), Block - RAMGARH ALWAR
4	11288B	1995-96	मंजू पाराशर राआउमावि पचार झोटवाडा जयपुर	GOVT SEN.SEC.SCH. PACHAR, BLOCK JHOTWARA (08120906812) Jaipur		10-11-1960	GOVT ADARSH SEN.SEC.SCHOOL CHAWADIA (08120722101), Block - JAMWA RAMGARH JAIPUR
5	12972K	1996-97	अंजना वर्मा राउप्रावि, गणपतपुरा	GOVT UPS SUKHALPURA, BLOCK SANGANER CITY (08122703350) Jaipur	SC	29-10-1974	GOVT ADARSH SR SEC. SCH.THOLAI (08120717501), Block - JAMWA RAMGARH JAIPUR
6	13328C	1996-97	उषा कुमारी जोशी राउमावि, रायपुर	GOVT. SER.SEC. SCHOOL RAIPUR, BLOCK MAHWA (08110403801) Dausa		03-12-1974	GOVT. GIRLS SER. SEC. SCHOOL SIKRAI (08110507515), Block - SIKRAI DAUSA
7	9330B	1993-94	योगेश कुमार शर्मा राप्रावि नंगला फरासिया, कठूमर	GOVT. PS NAGLA FARASIYA, BLOCK KATHUMAR (08061416802) Alwar		03-07-1967	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIDWAI (08061310601), Block - LAKSHMANGARH ALWAR
8	12853	1996-97	रामेश्वर दयाल यादव रामावि, हाडोता	GOVT SR. SEC. SCHOOL KHANNIPURA, BLOCK JALSU (08122908101) Jaipur		04-07-1971	GOVT ADRASH SENIOR SECONDARY SCHOOL DANGARWADA (08120716605), Block - JAMWA RAMGARH JAIPUR


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 10

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13380C	1996-97	कैलाश चन्द्र बैरवा राउमावि गीजगढ	GOVT. SSS GEEJGARH, BLOCK SIKRAI (08110510519)	Dausa	18-07-1974	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL TORDA SIKRAI (08110510008), Block - SIKRAI
2	14219	1997-98	राजेश कुमार शर्मा रामावि, खिजरीबास तिजारा	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHESHRA, BLOCK-TIJARA (08060602501)	Alwar	15-07-1969	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHIWANA (08060603302), Block - TIZARA
3	14584A	1997-98	अशोक कुमार शर्मा राउमावि, इन्दावा	GOVT. SR. SEC. SCHOOL INDAWA, BLOCK LALSOT (08110316504)	Dausa	01-07-1966	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL CHUDIWAWAS (08110602101), Block - LAWAN
4	1055	1999-00	राजेन्द्र कुमार मीणा राउप्रावि, अलीपुर, लालसोट	GOVT. UPS ALIPURA, BLOCK LALSOT (08110321401)	Dausa	01-12-1970	GOVT. SER. SEC. SCHOOL CHHAREDA (08110602006), Block - LAWAN
5	1145A	2000-01	बृज लाल मीना	GOVT. UPS TEEKARI KILANOT, BLOCK MAHUWA (08110404301)	Dausa	15-09-1969	GOVT. SR. SEC. SCH. RALAWATA (08110104702), Block - BANDIKUI
6	1235	2000-01	सुनील कुमार शर्मा राउमावि डुगरावता दौसा	GOVT. SR. SEC. SCHOOL DUGRAWATA, BLOCK LAWAN (08110602901)	Dausa	14-07-1972	GOVT. SER. SEC. SCHOOL KHANWAS (08110605302), Block - LAWAN
7	1534	2001-02	रामावतार कोली राउप्रावि, रानीवास प्रथम	GOVT. UPS RANIBAS (FIRST), BLOCK LAWAN (08110612502)	Dausa	04-08-1973	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BISHANPURA (08110207303), Block - DAUSA


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com

Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – संस्कृत के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में संस्कृत ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/11

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

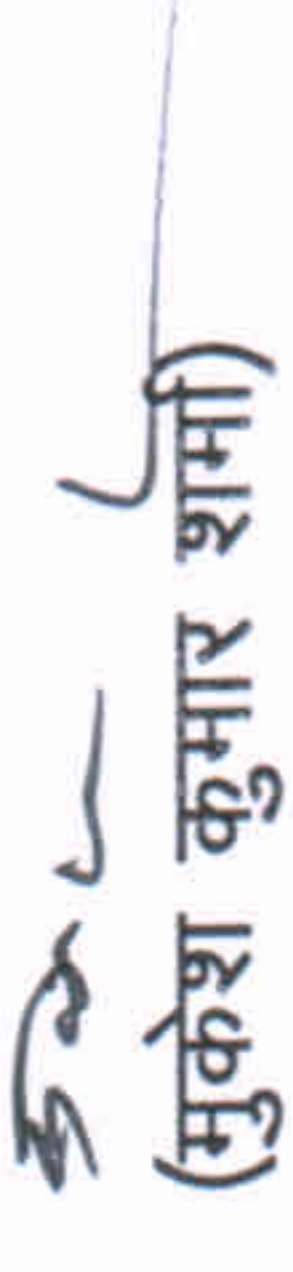
वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 11

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1226B	2000-01	श्रीमती घोटा मीना राउप्रवि गांधीशाला लालसोट	GOVT. UPS GANDHI SHALA LALSOT, BLOCK LALSOT (08110324309)	ST	03-08-1975	GOVT. SSS GOTHADA (08110211704), Block - DAUSA
2	13002	1996-97	शेर सिंह मीणा रामावि, खौकर लक्ष्मणगढ़ पातेय	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL JAISINGHPURA(SMALL), BLOCK LAKSHMANGARH (08061312401)	ST	08-08-1968	BAISIWALA GOVT SSS PRATAPGARH (08061002318), Block - THANAGAZI

नोट : उक्त कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – संस्कृत के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित नहीं होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

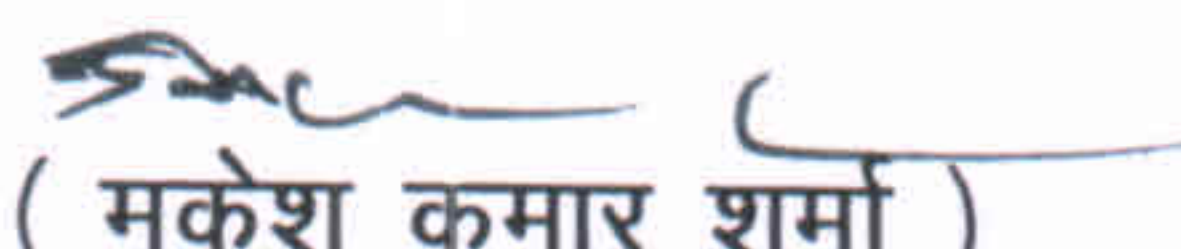
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में संस्कृत ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

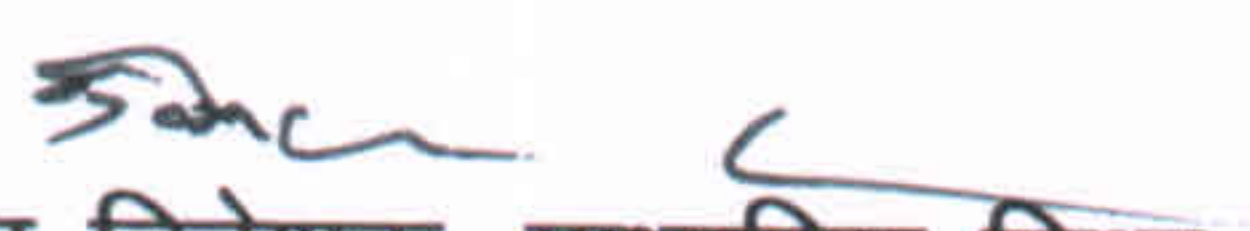

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/12

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

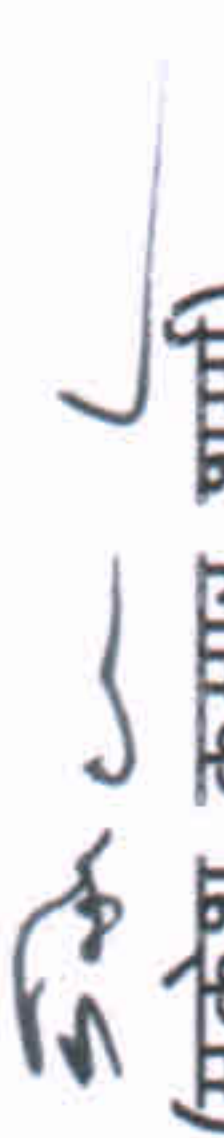
वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 12

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10902A	1994-95	मंजू सेठी राउप्रावि केशरिया कटूमर	GOVT. UPS MORSARAY, BLOCK UMRRAIN (08060820608)	Alwar	14-03-1970	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALAB (08061105401), Block - RAJGARH ALWAR

नोट : उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


 (मुकेश कुमार शर्मा)
 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – हिन्दी के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

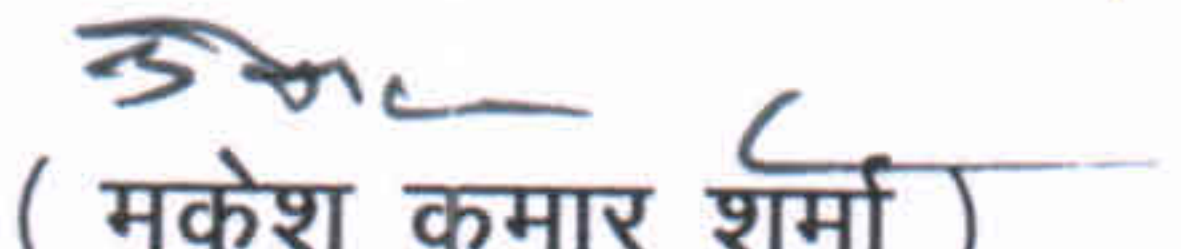
1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में हिन्दी ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/13-15

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

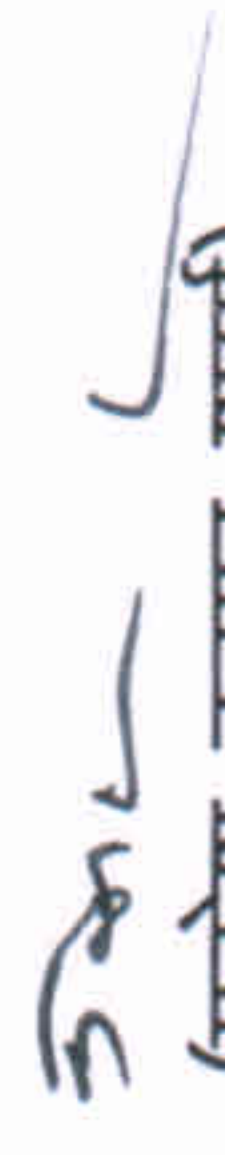
कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 13

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10195B	1994-95	देवा शर्मा राउप्रावि खेडला	GOVT. UPS KHEDALA, BLOCK UMRain (08060808901)	Alwar	01-07-1969	GOVT. SECONDARY SCHOOL BAHALI (08061114001), Block - RAJGARH
2	11807	1995-96	अंजना मेहन्दीरत्ता राउप्रावि, रौणपुर	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAIYABKA, BLOCK - KISHANGARHBAS (08060412501)	Alwar	18-09-1974	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL NOAGANWA (08060708902), Block - RAMGARH
3	11993A	1995-96	मीना गुप्ता राउप्रावि नं. 5 अलवर	ALAM CHAND BHAGWANTI DEVI GOVT. UPS NO. 5 ALWAR, BLOCK UMRain (08060820413)	Alwar	10-03-1961	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL MOTHUKA (08060400701), Block - KISHANGARH BAS
4	7048A	1991-92	चित्रा रानी श्रीवास्तव राउप्रावि महादेवपुरा चाकसू	GOVT SR SEC SCH MAHADEVUPURA, BLOCK CHAKSU (08121320701)	Jaipur	15-04-1967	GOVT SEN. SEC. SECHOOL WATIKA (08121203335), Block - SANGANER
5	7235	1991-92	संतोष खाकल राउप्रावि झारेडा (रामगढ)	GOVT. UPS CHORTI BAS, BLOCK RAMGARH (08060705503)	Alwar	11-08-1968	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHILOA (08060702401), Block - RAMGARH
6	8759A	1992-93	गायत्री परसोया रामावि पांच्यावाला	GOVT SECONDARY SCH. PANCHYA WALA, JAIPUR CITY (08122801706)	Jaipur	08-07-1971	GOVT GIRLS SEN SEC. SCHOOL CHAKSU (08121330205), Block - CHAKSU
7	8860C	1992-93	श्यामलता पालीवाल राउप्रावि उमरैण	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL UMRAIN, ALWAR (08060800102)	Alwar	03-10-1971	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARAYANPUR (08061007738), Block - THANAGAZI
8	10143B	1994-95	बीना यादव राउप्रावि खरकडा बहरोड	GOVT. ADARSH UPS KHARKHADA, BLOCK BEHROR (08060102101)	Alwar	28-01-1974	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIDARPUR (08060609502), Block - TIZARA
9	10642C	1994-95	ललीता शर्मा राउप्रावि तीतरिया चाकसू	GOVT SEN SEC SCH TITARIYA, BLOCK CHAKSU (08121305011)	Jaipur	18-06-1971	GOVT ADARSH SR SEC SCH KHAJALPURA (08121316303), Block - CHAKSU
10	10671B	1994-95	सगीता कच्छावा राउप्रावि दहलावास	GOVT UPS HUKAN, BLOCK CHAKSU (08121315601)	Jaipur	15-06-1971	GOVT SR SEC SCH BAPUGAON (08121337301), Block - CHAKSU


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 14

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11288B	1995-96	मंजू पाराशर राआउमावि पचार झोटवाडा जयपुर	GOVT SEN.SEC.SCH. PACHAR, BLOCK JHOTWARA (08120906812)	Jaipur	10-11-1960	GOVT SR.SEC.SCH. NANGAL SUSAWATAN (08120601201), Block - AMBER
2	6359	1990-91	लाला राम शर्मा रामावि, खोराश्यामदास	GOVT SR.SEC.SCH KHORASHYAMDAS, BLOCK JALSU (08122906101)	Jaipur	04-12-1968	GOVT ADARSH SR. SEC.SCH. LAKHER (08120615201), Block - AMBER
3	8389	1992-93	अनिल कुमार शर्मा राउप्रावि, गोग	GOVT SEN.SEC SCH GOVINDGARH (08120409937)	Jaipur	12-07-1968	GOVT GIRLS SEN. SEC. SCH SAMBHAR LAKE (08120521203), Block - SAMBHAR LAKE
4	8506A	1992-93	ओम प्रकाश जाटव रामावि, खाखर, अलवर	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOH, BLOCK- KATHUMER (08061412907)	Alwar	01-03-1961	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, SALWARI, (08061401201), Block - KATHUMAR
5	9330B	1993-94	योगेश कुमार शर्मा राप्रावि नंगला फरासिया, कठूमर	GOVT. PS NAGLA FARASIYA, BLOCK KATHUMAR (08061416802)	Alwar	03-07-1967	GOVERNMENT HIGH SECONDARY SCHOOL, KHEDA MAHMOOD (08061313401), Block - LAKSHMANGARH
6	9389C	1993-94	गिरधारी लाल बैरवा राप्रावि पाई का गवाडा ,राजगढ	GOVT. PS PAI KA GUWADA, BLOCK RAJGARH (08061106709)	Alwar	05-11-1964	GOVT. AADARSH SR.SEC.SCHOOL, SAKAT (08061107513), Block - RAJGARH
7	10497	1994-95	बाबूसिंह नरुका राप्रावि, भण्डोडी, उमरैण	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANDODI,BLOCK-UMRAIN (08060809801)	Alwar	20-04-1969	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BERLA (08061300901), Block - LAKSHMANGARH
8	10625	1994-95	योग राज सैनी प्राशि, दौसा	GOVT. SEC.SCHOOL DHANDHOLAI , BANDIKUI (08110103601)	Dausa	19-11-1963	GOVT. SR. SEC. SCH. BAIJUPADA (08110116005), Block - BANDIKUI
9	10678	1994-95	नहनू राम मीना रामावि, पालावास	GOVT. GIRLS SEC. SCHOOL KUNDAL, BLOCK DAUSA (08110220901)	Dausa	05-07-1971	GOVT. SER. SEC. SCHOOL BAPI (08110210204), Block - DAUSA
10	10808	1994-95	रामावतार तिवाडी राप्रावि मिश्राला, राजगढ़	GOVT. PS MISHRALA TEHLA, BLOCK RAJGARH (08061104103)	Alwar	25-01-1973	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL DARIBA PROJECT (08061100115), Block - RAJGARH


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 15

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11036	1995-96	सतीश चन्द्र सैनी राउप्रावि, बीघोता, राजगढ़	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL BHEGOTA, BLOCK RAJGARH (08061106701)	Alwar	10-08-1966	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALDEVGARH (08061100301), Block - RAJGARH
2	11338	1995-96	रोहिताश्व रा.प्रा.वि. नालोता	GOVT. SENIOR SECONDARY SHCOOL KAYSA, BLOCK-NEEMRANA (08060200601)	Alwar	15-06-1967	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAREKALA (08060606001), Block - TIZARA
3	11543	1995-96	राम लाल मीणा राउप्रावि, दामोदरपुरा बस्सी	GOVT. AADARSH SR. SEC. SCHOOL BHAWPURA, BLOCK JAMWARANGARH (08120722605)	Jaipur	03-05-1971	GOVT GIRLS SEC SCH BANSKHO (08120812806), Block - BASSI
4	11559	1995-96	सुनील कुमार यादव राउप्रावि, मोहम्मदपुर काकरा बहरोड़	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL MOHMADPUR, BLOCK BEHROR (08060105301)	Alwar	05-07-1971	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUWALDA (08060603801), Block - TIZARA
5	11684	1995-96	महेश कुमार कटारिया राउप्रावि, अकलीमपुर नीमराना	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL DOSOD, BLOCK-NEEMRANA (08060200901)	Alwar	22-04-1972	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, BICHHALA (08060611001), Block - TIZARA
6	12677	1996-97	दानू खां राउप्रावि, बुटीयाना लक्ष्मणगढ़	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMBAS, BLOCK LAKSHMANGARH (08061314001)	Alwar	01-07-1970	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUNHERA (08060705001), Block - RAMGARH
7	12720	1996-97	मुरारी लाल राउप्रावि, पाडा, रैणी	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHIGAWARA, BLOCK- RAJGARH (08061112205)	Alwar	13-07-1972	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL KHARKADI KALAN (08061009501), Block - THANAGAZI
8	14195	1997-98	सुरेश चन्द मीना रामावि, भीखाहेडी, लक्ष्मणगढ़	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHEEKHA HEDI, BLOCK LAKSHMANGARH (08061307201)	Alwar	01-07-1976	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TODA NAGAR (08061304901), Block - LAKSHMANGARH

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – हिन्दी के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/डीपीसी/2018 दिनांक 11.09.2018 के अनुसरण में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट दिनांक 17.11.2016 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में दिनांक 17.09.2018 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित नहीं होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में हिन्दी ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/16

दिनांक : 17-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 16

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4684	1989-90	विजया आचार्य राउप्रावि देवखेडा	ALAM CHAND BHAGWANTI DEVI GOVT. UPS NO. 5 ALWAR, BLOCK UMRAIN (08060820413)	Alwar	02-04-1960	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, BHAJEDA (08061200904), Block - RAINI ALWAR
2	10902A	1994-95	मंजू सेठी राउप्रावि केशरिया कठूमर	GOVT. UPS MORSARAY, BLOCK UMRAIN (08060820608)	Alwar	14-03-1970	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, DHIRODA (08061100401), Block - RAJGARH ALWAR
3	9473	1993-94	प्रभूदयाल गुप्ता प्रावि गढ़ पंस. महवा	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SINDUKI, BLOCK MAHWA (08110400301)	Dausa	01-08-1969	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL GANGLYA WAS (08110303403), Block - LALSOT DAUSA

नोट : उक्त कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com

Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक – हिन्दी के पदों पर संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों का वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध रिव्यू चयन किया गया है। एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11396/2018 मनोहर लाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 की अनुपालना में नियमित डीपीसी हेतु आयोजित परामर्श कैम्प दिनांक 25.05.2018 को परामर्श कैम्प समाप्ति के पश्चात् इन कार्मिकों द्वारा उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जा चुका था/परामर्श कैम्प की तिथि को उपस्थित नहीं होने पर शेष रिक्त पदों में से पदस्थापन आवंटित किया जा चुका था। उक्तानुसार पूर्व में दिनांक 25.05.2018 को प्रस्तुत विकल्प/आवंटित विद्यालय के आधार पर इन कार्मिकों को इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें चयनित वर्ष से नियमानुसार वेतनमान लेवल-11 देय होगा। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जाये, अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
3. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्मिक स्नातक योग्यता में हिन्दी ऐच्छिक विषय एवं बी.एड. की योग्यता रखते हैं। प्रमाणन हेतु उक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। अयोग्य/अपात्र/वांछित/मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ कार्यग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक **27-09-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ/पीईईओ इन्हें अनिवार्य रूप से शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराएँ एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिए माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक : 17-09-2018

क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/R-2018-19/2018/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) अलवर/जयपुर/दौसा।
6. संबंधित बीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/कार्मिक.....
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन, कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 से पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-1बी/एफ-पदोन्नति/2018-19 आदेश संख्या - 17

दिनांक : 17.09.2018

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	निर्धारण वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	संवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति पद परस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11109	1995-96	अमिलाबा बडाया राउप्रावि, टहला	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHIGAWARA, BLOCK- RAJGARH (08061112205)	Alwar	02-06-1975	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TEHLA, BLOCK-RAJGARH (08061104111)
2	14143B	1997-98	इन्द्रा मीणा राउप्रावि, मालीवास, रैणी	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MACHARI, BLOCK- RAINI (08061208327)	Alwar	07-07-1974	GOVT. SR SECONDARY SCHOOL KANETI, BLOCK - RAINI (08061208501)
3	7778A	1991-92	मनोहर लाल शर्मा राउप्रावि, चांदपुरी, अलवर	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDPURI, BLOCK-THANAGAZI (08061009101)	Alwar	01-07-1967	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BASAI JOGIAN, BLOCK-THANAGAZI (08061004801)
4	9268	1993-94	हीरा नन्द खत्री राउप्रावि, मातौर मुण्डावर अ. सिन्धी	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ISRODA, BLOCK-TIJARA (08060611403)	Alwar	10-08-1965	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL DUHAR CHOGAN, BLOCK-THANAGAZI (08061005001)
5	10532	1994-95	महेश कुमार शर्मा राउप्रावि, भाखरबाला गुड़ा बानसूर	GOVT. UPS BAD DOONDHLA, BLOCK BANSUR (08060907201)	Alwar	01-10-1967	GOVT. SECONDARY SCHOOL MORDI NARAYANPUR, BLOCK - THANAGAZI (08061007709)
6	14286	1997-98	राम फूल मीणा राउप्रावि, माचाड़ी रैणी	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL DUBBI, BLOCK-RAJGARH (08061111701)	Alwar	01-01-1972	GOVT. SECONDARY SCHOOL MALAWALI, BLOCK- LAXMANGARH (08061304801)
7	11980C	1995-96	कानाराम कुलदीप राउप्रावि ककराना पावटा जयपुर	GOVT UTKARIST UPS KAKRANA, BLOCK PAOTA (08123002101)	Jaipur	01-02-1969	GOVT SR SEC. SCH. THIKARIYA, BLOCK - PAOTA (08123003501)
8	13088	1996-97	जले सिंह रामावि, रामपुर बानसूर	GOVT. PS BALADHAB BUTERY, BLOCK BANSUR (08060904102)	Alwar	05-07-1972	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL BADA GANV, BLOCK-BANSUR (08060911001)

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर